FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0295 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 13:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 21/08/2015 Date To (दिनांक तक): 20/08/2020

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025 Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/11/2025 13:56:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 90 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): NAGARPALIKA KSHETRA GULABPURA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): GOPAL LAL SEN

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAIRU LAL SEN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1968 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALLA BAVJI MANDIR KE PICHHE, GULABPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALLA BAVJI MANDIR KE PICHHE, GULABPURA, GULABPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DANRAJ GURJAR		पिता:RAMKARAN JI GURJAR	1. DHOONEE GULABPURA,GULABPURA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
2	MANISH SANGELA		पिता:RAMCHANDRA SANGELA	1. 2/40,GADDI THORIYAN, HOUSING BOARD MASUDA ROAD,BEAWAR,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
3	PRANSHU PAREEK		पिता:VIKASH PAREEK	1. BHADADA BAG GULABPURA,GULABPURA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
4	GHANSHYAM RAIGAR		पिता:PRAHLAD RAIGAR	1. RAIGARO KA MAUHALLA HURDA,GULABPURA,

				GULABPURA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
5	HARIPRASAD PRAJAPAT		पिता:BABULAL	1. INDRA COLONY,GULABPURA,GULABPURA,BHILWARA,RAJASTHAN,I
6	HEERANAND KISNANI		पिता:JESARAM KISNANI	1. KALL BAWJI MANDIR KE PICHE,GULABPURA BHILWARA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
7	HEMRAJ PARJAPAT		पिता:CUNNI LAL	1. INDRA COLONY,GULABPURA BHILWARA,BHILWARA,RAJAST
8	DULANADAS JESWANI		पिता:KEVALRAM JESWANI	1. SINDHI COLONY,GULABPURA BHILWARA,BHILWARA,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		11,03,884.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 11,03,884.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के संक्षिप्त हालात इस प्रकार से निवेदन है कि प्रार्थी श्री गोपाललाल सेन निवासी गुलाबपुरा द्वारा एक लिखित शिकायत ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जिस पर प्राथमिक जांच संख्या 18/22 दिनांक 21.09.22 में दर्ज होकर मय सक्षम अधिकारी से 17 ए की अनुमति के साथ इस आशय की प्राप्त हुई कि नगर पालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा के तत्कालीन अध्यक्ष धनराज गुर्जर एवं अधिशाषी अधिकारी मनीष सांगेला ने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार करते हुये आपराधिक षडयंत्र रचकर नगर पालिका की बेशकिमती लाखो रूपये की सरकारी भूमि को चंद रूपयों में गैरकानूनी तरीके से नियमों के विपरित जाकर विक्रय प्रतिफल की राशि को राजकोष में नही जमा कराकर नगर पालिका को लाखो रूपये का नुकसान पहुंचाकर राजकोष को हानि पहुंचाई है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में तीनो भूखण्डों के सम्बंध में नगर पालिका कार्मिको द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य का उल्लेख करते हुये संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया कि आवेदक श्री हिरानन्द पिता जेसाराम किशनानी निवासी गुलाबपुरा का बिना हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2018 का गुलाबपुरा आबादी क्षेत्र में 30 x45 माप का भूखण्ड के बदले भूखण्ड का पट्टा चाहने बाबत दिनांक 25.03.2011 का बेचान इकरारनामा व पावर आफ अटार्नी तथा मूल भूखण्ड भगवान दास के नाम से ग्राम पंचायत गुलाबपुरा द्वारा जारी बापी पट्टा जिसे कि तत्कालिन कलेक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा निरस्त कर दिया था। आवेदक का प्रार्थना पत्र बिना हस्ताक्षर प्राप्त हुआ, बेचान ईकरारनामा एवं पावर ऑफ अटार्नी पर आवेदक व गवाह के हस्ताक्षर नही होना तथा नोटेरी से सम्बंधित अन्य संदेहास्पद परिस्थितियां का उल्लेख करते हुए यह आरोप लगाया कि नगर पालिका गुलाबपुरा के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर एवं अधिशाषी अधिकारी मनीष सांगेला द्वारा आवेदक हीरानन्द किशनानी को उक्त भूखण्ड के बदले रैफरल चिकित्सालय के सामने नगर पालिका की योजना क्षेत्र की कालोनी में भूखण्ड संख्या 30 माप 31फीट 10 इंच प्लस 43 फीट

11 इंच x 60 का प्लॉट दिनांक 26.03.2020 को 251000 रूपये विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया। इस बाबत प्रतिफल स्वरूप 251000 रूपये विक्रेता तत्कालिन अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा प्राप्त किये जाने की अभिस्वीकृति विक्रय पत्र में दी जाने के बावजूद उक्त प्रतिफल राशि को पालिका के राजकोष में जमा नही करायी गयी। इस बाबत आदेशिका में भी उल्लेख नही किया गया, प्रतिफल राशि की गणना किस आधार पर की गयी इसका पैमाना क्या रहा तथा विक्रय पत्र जारी करने के आदेश का भी आदेशिका में कही पर भी उल्लेख नही किया गया। यह भी कि आवेदक द्वारा भूखण्ड नपती 30x45 वर्गगज के बदले नगर पालिका द्वारा भूखण्ड संख्या 30 नपती 31फीट 10 इंच प्लस 43 फीट 11 इंच x 60 वर्गगज का विक्रय पत्र जारी कर दिया जो आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन से अधिक भूमि का विक्रय पत्र है। इस प्रकार आरोपीगणो द्वारा परस्पर मिलिभगत द्वारा नियम विरूद्ध होकर राजकोष को हानि पहुंचाई। इस प्रकार अन्य आवेदक श्री हेमराज पिता चुन्नी लाल प्रजापत निवासी गुलाबपुरा द्वारा बिना हस्ताक्षरित आवेदन पेश किया। आवेदक द्वारा नगर पालिका गुलाबपुरा आबादी क्षैत्र में न्यू कालोनी के भूखण्ड संख्या ए-44 नपती 40x60 वर्गफिट के भूखण्ड में इन्द्रा कॉलोनी का आम रास्ता निकल जाने से उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड चाहने बाबत आवेदन किया। आवेदक द्वारा आम रास्ते में जाने के बाद शेष रहे 20 वर्गगज भूखण्ड को दिनांक 05.08.2019 को जरिये विक्रय पत्र खरीदा। इसके बदले भुगतान 37000 रूपये अदा किये गये। उक्त आवेदन पर नगर पालिका गुलाबपुरा के तत्कालिन पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर एवं अधिशाषी अधिकारी मनीष सांगेला द्वारा आवेदक हेमराज प्रजापत को रैफरल चिकित्सालय के सामने कोलोनी में भूखण्ड संख्या 20 जिसका माप 30x60 वर्गगज का दिनांक 01.01.2020 को 259200 रूपये को विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया जबकि उक्त भूखण्ड ए-44 न्यू कालोनी एवं भूखण्ड संख्या 20 रैफरल चिकित्सालय के सामने वाले में काफी भिन्नता है। नगर पालिका को भूखण्ड का विक्रय पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है केवल भू आवंटन जारी कर सकती है। इस प्रकार नगर पालिका की बेशकिमती भूमि को चंद रूपये में विक्रय कर लाखों रूपये की हानि नगर पालिका/राज्य सरकार को पंहुचाई गई । इसी प्रकार आवेदक दुलानादास पिता केवलराम जेसवानी निवासी गुलाबपुरा को रैफरल चिकित्सालय के सामने योजना क्षेत्र की कालोनी में भूखण्ड संख्या 21 नपती 30x60 वर्गगज का दिनांक 20.03.2020 को 251000 रूपये में विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया। जबकि क्रेता द्वारा 251000 रूपये विक्रेता श्री धनराज गुर्जर तत्कालिन अध्यक्ष व श्री मनीष सांगेला अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा को दिनांक 26.03.2020 को अदा किये गये जिसकी अभिस्वीकृति क्रेता को दी गई। उक्त भूखण्ड के प्रतिफल की राशि 251000 रूपये नगर पालिका कोष में जमा नहीं कराई एवं अविधिक तरीके से नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र कर एवं पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाई जाने के आरोप अंकित करते हुए शिकायत प्रेषित की उक्त आशय की प्राप्त शिकायत पर प्राथमिक जांच संख्या 18/22 दिनांक 21.09.22 दर्ज होकर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक 897-901 दिनांक 21.09.2022 के संलग्न वास्ते जाच हेतु श्री ब्रजराज सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम को प्राप्त हुई।

दौराने जांच श्री ब्रजराज सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्राथमिक जांच मे विवादित भूखण्ड 20, 21, 30, की पत्रावलियां नगर पालिका गुलाबपुरा के पत्र क्रमांक 1739 दिनांक 22.11.2022 से जरिये फर्द पेशकशी प्राप्त की गई । नगर पालिका गुलाबपुरा की एम्पाई केमेटी दिनांक 03.08.2017 के प्रस्ताव सं.3 के बिन्दु स. 9 व 10 की प्रमाणित प्रतियां व नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा इन्द्रा कॉलोनी के बनाये गये रोड व कॉलोनी का ले आउट प्लान प्राप्त किया गया । तहसील कार्यालय हुरडा के पत्रांक 47 दिनांक 23.11.22 से विवादित क्षैत्र की डीएलसी रेट व विवादित प्लाटों के पंजीयन दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। परिवादी श्री गोपाल लाल सेन के बयान लेखबद्ध किये गये। श्री मनीष सांगेला तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री धनराज गुर्जर तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री प्रान्शु पारीक हाल कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री घनश्याम रेगर हाल कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री हरिप्रसाद हाल वरिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, व लाभार्थी श्री हिरानन्द किशनानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री हेमराज प्रजापत निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, श्री दुलानादास जेसवानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के बयान स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये ।

जांच में प्राप्त अभिलेखीय, मौखिक साक्ष्य एवं गवाहान बयानात से पाया गया कि प्रकरण हाजा के लाभार्थी श्री हिरानन्द किशनानी पुत्र जेसाराम किशनानी निवासी गुलाबपुरा को नगर पालिका गुलाबपुरा की रैफरल चिकित्सालय के सामने योजना क्षेत्र की न्यू कालोनी मे स्थित भूखण्ड संख्या 30 के विक्रय के सम्बंध में जांच से पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलाबपुरा जिला भीलवाडा द्वारा दिनांक 04.06.1981 को अपनी आबादी भूमि मे से श्री भगवानदास पुत्र रीझामल को कुल 1350 वर्गफीट भूमि 221 रूपये मे आवंटित कर भूखण्ड का बापी पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत गुलाबपुरा द्वारा तत्समय मे आंवटित किये गये भूखण्डो का नियम विरूद्ध आवंटन होने से तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसका न्यायालय मे भी वाद विचाराधीन रहा है। उक्त भूखण्डो पर कुछ व्यक्तियो द्वारा पक्के मकान निर्माण कर लिये तथा कुछ लोगो ने रिवीजन तथा वाद काल मे ही नींव सींव कर कब्जे कर लिये थे। तत्पश्चात दिनांक 30.01.1982 को ग्राम पंचायत गुलाबपुरा को नगर पालिका गुलाबपुरा मे क्रमोन्नत कर गठन कर दिया गया। नगर पालिका

द्वारा पूर्व मे ग्राम पंचायत के जारी पट्टो मे से 45 व्यक्तियो की एक सूची जारी की गई, जिसमे भगवानदास का नाम भी शामिल था। भगवानदास की मृत्यु होने के उपरान्त उसकी पत्नि श्रीमती रूकमणी देवी ने दिनांक 25.03.2011 को एक 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेचाननामा तैयार कर श्री हीरानन्द पुत्र जेसाराम को बेचान कर उसकी पावर आफ अटार्नी कर दी। उक्त पावर आफ अटार्नी एवं बेचाननामे के आधार पर दिनांक 30.01.18 को श्री हीरानन्द ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गुलाबपुरा को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा प्रकिया अपनाई जाकर पूर्व मे ग्राम पांचायत गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 04.06.1981 को आबादी भूमि मे से भूखण्ड संख्या 21 के बदले भूखण्ड दिये जाने हेतु प्रकरण समझौता समिति मे रखे जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 3 के बिन्दू संख्या 10 के अनुसार भूखण्ड संख्या 21 के बदले मे नगर पालिका की आवासीय कालोनी रैफरल चिकित्सालय के सामने भूखण्ड संख्या 30 का माप 31फीट 10 इंच प्लस 43 फीट 11 इंच x 60 कुल क्षेत्रफल 2226 वर्ग फीट भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय की पालना मे श्री भगवानदास को नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 26.03.20 को आरक्षित दर के हिसाब से 251000 रूपये मे जरिए विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया। विक्रय पत्र की राशि कार्यालय रेकार्ड के अनुसार राजकोष मे जमा नहीं होना पायी गयी है। जबकि तत्समय मे उक्त भूखण्ड की डीएलसी दर 234 रूपये वर्ग फीट से कुल 2226 वर्गफीट भुखण्ड क्षेत्रफल गुणा 234 रूपये वर्गफीट से गुणनफल करने पर राशि 520884 रूपये होती है। जिससे राज्य सरकार को करीब 520884 रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। एम्पावर्ड कमेटी द्वारा श्री हीरानन्द को जारी किये गये भूखण्ड के बदले भूखण्ड के सन्दर्भ मे तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर/डीएलसी दर, नियम परिपत्रो की अनदेखी करते हुए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री मनीष सांगेला एवं अध्यक्ष श्री धनराज गुर्जर एवं कार्यालय मे पदस्थापित श्री प्रांशु पारीक, श्री घनश्याम रेगर एवं श्री हरिप्रसाद तथा लाभार्थी श्री हीरानन्द द्वारा आपस मे मिलीभगती कर उक्त बेशकीमती भूखण्ड को बेचान किया जाकर राज्य सरकार को 520884 रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाया जाना पाया गया है। वर्तमान मे श्री हीरानन्द द्वारा उक्त आवंटितशुदा भूखण्ड दिनांक 26.06.20 को श्री ओम गुर्जर को 550000 रूपये मे बेचान किया जाना ज्ञात हुआ है।इसी प्रकार नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा अपनी आबादी क्षेत्र मे न्यू कालोनी के भूखण्ड संख्या ए-44 नपती 40x60 वर्गफीट भूखण्ड मे इन्द्रा कालोनी का आम रास्ता निकल जाने से उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड दिठेये जाने के संबंध मे जांच मे प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर पाया गया कि न्यू कालोनी के भूखण्ड संख्या ए 44 के इन्द्रा कालोनी के आम रास्ते मे आने से रास्ते मे आने वाली भूमि के अतिरिक्त शेष रहे 20 वर्गगज भूखण्ड को दिनांक 05.08.2019 को जरिये विक्रय पत्र 37000 रूपये मे बेचान किया तथा उसके अतिरिक्त आवेदक की रास्ते मे दी गई भूमि के बदले मे अन्य भूखण्ड दिये जाने के संबंध मे वस्तुस्थिति इस प्रकार पाई गई कि दिनांक 30.06.1992 को नगरपालिका गुलाबपुरा की आवासीय योजना न्यू कालोनी मे श्री रमेशचन्द शर्मा द्वारा एक भूखण्ड ए-44 कुल 2400 वर्ग फीट भूखण्ड राशि 2667 रूपये मे क्रय किया गया। दिनांक 14.07.2014 को श्री रमेशचन्द द्वारा उक्त भूखण्ड 111000 रूपये मे जरिए विक्रय पत्र श्री रामधन वगैराह को बेचान कर दिया। दिनांक 05.08.2019 को श्री रामधन वगैराह द्वारा उक्त भूखण्ड श्री हेमराज प्रजापत को बेचान किया गया। श्री हेमराज प्रजापत द्वारा उक्त भूखण्ड के नगरपालिका की अन्य आवासीय योजना इन्द्रा कालोनी का आम रास्ता आ जाने से उक्त भूखण्ड को नगरपालिका गुलाबपुरा को समर्पित कर दिया गया तथा समर्पण के दौरान ही श्री हेमराज प्रजापत द्वारा उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिये जाने का एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 09.10.19 को कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यू कालोनी के भूखण्ड संख्या ए-44 के स्थान पर नगरपालिका की बैठक दिनांक 30.09.19 के प्रस्ताव संख्या 08 के बिन्दु संख्या 06 के द्वारा प्रस्तावित आवंटन रेफरल चिकित्सालय के सामने स्थित कालोनी मे नगरपालिका की भूमि मे से भूखण्ड संख्या 20 दिये जाने का अंकन करते हुए पत्रावली विधि शाखा को प्रेषित की गई। जिस पर विधि शाखा द्वारा दिनांक 27.12.19 को अपनी टिप्पणी मे उक्त प्लाट के बदले श्री हेमराज प्रजापत को भूखण्ड आवंटन नही करने का उल्लेख किया है तथा उक्त प्रस्ताव जनहित का नही होकर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का है जो कि अन्य अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पारित नही होकर पालिका मण्डल की बैठक मे विचारणीय बिन्दू एजेन्डा सम्मिलित किया जाकर मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिये जाने की सहमति नही दी जाकर राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाने हेतु अंकित कियां उक्त प्रस्वावित टिप्पणी पर दौराने जांच किसी प्रकार की कोई राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना नही पाया गया है। कार्यालय टिप्पणी के अनुसार भूखण्ड संख्या ए 44 के बदले आवंटित भूखण्ड संख्या 20 दिये जाने मे उक्त भूखण्डों की बाजार भाव एवं आरक्षित दर मे भिन्नता होना दर्शाया जाकर भूखण्डों को समकक्ष नहीं माना। जिस पर उक्त विधि शाखा व लेखा शाखा की टिप्पणी उपरान्त पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को प्रेषित की गई है। जिसमे अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त भूखण्ड को आवासीय अनुमोदित होना बताकर विपरीत टिप्पणी के बावजूद भी भूखण्ड के आवंटन का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना मे श्री हेमराज प्रजापत पुत्र श्री चुन्नी लाल प्रजापत निवासी गुलाबपुरा को दिनांक 01.01.20 को भूखण्ड संख्या ए-44 के स्थान पर रेफरल चिकित्सालय के सामने स्थित भूमि मे से 30x60 का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर 720 रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से 259200 रूपये जमा कर जरिए विक्रय पत्र उक्त भूखण्ड श्री हेमराज प्रजापत को बेचान कर दिया

[redacted]

गया। जबकि उक्त भूखण्ड की तत्समय की प्रचलित डीएलसी दर 234 रूपये वर्ग फीट थी। जिसके हिसाब से कुल डीएलसी दर से 421200 रूपये होती है। जिससे उक्त भूखण्ड विक्रय करने मे 162000 रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाया जाना स्पष्ट प्रमाणित है जिसके लिये नगर पालिका गुलाबपुरा के तत्कालीन अध्यक्ष धनराज गुर्जर एवं अधिशाषी अधिकारी श्री मनीष कुमार सांगेला द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपसी मिलीभगती कर षडयन्त्रपूर्वक अपने चहेते को नियम विरूद्व भूखण्ड आवंटन कर राज्य सरकार को 162000 रूपये का आर्थिक हानि पहुंचाई जाना स्पष्ट प्रमाणित है। दौराने जांच श्री दुलानादास सिन्धी को नगर पालिका की अन्य आवासीय भूमि मे से भूखण्ड संख्या 4 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 21 आवंटित किये जाने के संबंध मे दौराने जांच प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यो, मौखिक साक्ष्यो गवाहान बयानात से पाया गया श्री केवलराम पुत्र श्री सेवाराम को ग्राम पंचायत गुलाबपुरा से दिनांक 13.07.1980 को 930 वर्ग फीट भूमि 4 रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से 1800 रूपये मे आवंटित की गयी। उक्त भूखण्ड आवंटन के पश्चात श्री गोपीकृष्ण काबरा ने दिनांक 21.01.1970 को उक्त भूखण्ड श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री उम्मेद सिंह को बेचान किये जाने का पंजीकृत दस्तावेजात नगरपालिका गुलाबपुरा को प्रस्तुत करते हुए उक्त भूमि चन्द्रकलां रांका की होना अवगत कराया। जिस पर नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा निर्माण कार्य रूकवाकर भूखण्ड पर स्थगन आदेश पारित करवा दिया। दिनांक 19.03.1986 को श्री केवलराम द्वारा उक्त जमीन पर समझौता करते हुए जरिए पंजीकृत दस्तावेजात उक्त भूखण्ड को श्रीमती चन्द्रकला से खरीद कर लिया गया। आवेदक श्री केवलराम सिंधी ने दिनांक 12.02.2002 को नगर पालिका गुलाबपुरा में समझौता समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पूर्व में 13.07.1980 में प्लाट आवंटन के लिये 1800 रूपये जमा कराये मगर आज तक मुझे प्लाट नहीं दिया गया मुझे प्लाट दिलवाया जाये। जिस पर नगर पालिका गुलाबपुरा ने कार्यालय टिप्पणी के पेरा छ में अंकित किया कि समझौता समिति ने निर्णय लिया है कि आवेदक द्वारा जमा राशि 1800 रूपये जो आवंटित भूमि की आधी है शेष राशि भूखण्ड क्षैत्र की आरक्षित दर का 50 प्रतिशत वसूल कर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 4 नपती 30x64 वर्ग फीट का अनुमोदन कर दिनांक 11.11.2003 को नगर नियोजक विभाग को प्रेषित किया गया। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के पत्रांक 12534 दिनांक 02.08.2004 से नगर पालिका समझौता समिति बैठक दिनांक 12 व 13.09.2003 पर रोक लगा दी । वर्ष 2008 में आवेदक श्री केवल राम का स्वर्गवास हो जाने पर उसके पुत्र श्री दुलानादास सिंधी ने वापस आवेदन किया कि नगर पालिका समझौता समिति दिनांक 12.09.2003 के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मुझे भूखण्ड दिया जावें। आरोपीगणों द्वारा एम्पाई कमेटी की बैठक दिनांक 04.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 3 के बिन्दु संख्या 09 के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर 2017 का हवाला देते हुये आवेदक को भूखण्ड संख्या 4 के बदले भूखण्ड संख्या 21 नपती 30x60 वर्ग फीट नगर पालिका योजना मे रेफरल चिकित्सालय के सामने दिया जाने का प्रस्ताव लिया गया। जबकि समझौता समिति के निर्णय के अनुसार नगर पालिका द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र के अनुसार 50 प्रतिशत राशि वसूली के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नही किया गया एव ना ही वसूली की गई। दिनांक 13.07.1980 कों आवेदक द्वारा 1800 रूपये जमा को आधार मान कर बेशकिमती जमींन पर भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। आवेदक द्वारा जिन भूखंडों के निमित जमा राशि के बदले अन्यत्र भूखंड चाहे वो भूखण्ड पंचायत के नही होकर मालिकाना हक के थे। इस प्रकार आवेदक ने तथ्य छुपाकर तत्कालिन समय में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र नगरपालिका में पेश किया था। नगर पालिका प्रशासन द्वारा भूखण्ड संख्या 21 नपती 30x60 प्रति वर्ग फिट नगर पालिका योजना रेफरल चिकित्सालय गुलाबपुरा का आरक्षित दर से प्रस्ताव बना कर भी लाभार्थी को नहीं दिया। जबकि विवादित जगह की आवासीय आरक्षित दर 234 रूपये प्रति वर्ग फिट है जिसकी किमत 30x60 बराबर 1800 x 234 बराबर 421200 रूपये बनती है । नगर पालिका के तत्कालिन अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक जिम्मेदार व अहम व्यक्ति होकर लाभार्थी से आपसी मिली भगत कर पद का दुरूपयोग कर अपने हस्ताक्षरो से पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पुर्व विधि शाखा के प्रान्शु पारिक कनिष्ठ लिपिक,राजस्व शाखा के श्री घनश्याम रेगर कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व जेईएन के द्वारा भी टिप्पणी अंकित की हुई है। सभी अधिकारी व कर्मचारी एक लोक सेवक होते हुये सरकार व नगर पालिका के अहम जिम्मेदार व्यक्ति होकर टिप्पणी में तथ्य छुपाये है। विक्रय पत्र में अंकित है कि प्रतिफल स्वरूप क्रेता द्वारा 251000 रूपये विक्रेता को अदा किये गये है। जांच से पाया गया कि न केवल नगर पालिका के अधिकारी/कर्मचारीयों द्वारा भूखण्ड का आवासीय डीएलसी दर से राशि का गुणनफल नही कर लाभार्थी से 421200 राशि प्राप्त नही कर नगरपालिका कोष में जमा नही करवायी बल्कि विक्रय पत्र में उल्लेखित राशि 251000 रूपये भी आवंटित पत्र के अनुसार प्रतिफल स्वरूप राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को दिनांक 26.03.2020 को अदा कर दियें परन्तु रिकार्ड के अनुसार भी उक्त राशि राजकोष में जमा होना नही पाई गई। यदि आरोपीगणो द्वारा नियमानुसार विहित विभागीय प्रक्रिया व नियमानुसार कार्य किया जाता व आवेदक के आवेदन पर सम्यक समाधानोपरांत कार्य किया जाता तो आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य था। किन्तु उक्त आरोपीगणों द्वारा पद का दुरूपयोग कर आपराधिक कृत्य करते हुए लाभार्थी को सदोष लाभ व राजकोष को सदोष हानि पहुंचाया जाना पाया गया है। उक्त भूखण्ड को बेचान किये जाने मे तत्कालीन डीएलसी दर 234 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से 421000 रूपये बनती है। जो उक्त राशि का राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। इस प्रकार दौराने जांच प्राप्त अभिलेखीय, मौखिक साक्ष्य, गवाहान बयानात से पाया गया है कि श्री हीरानन्द किशनानी को दिनांक 26.03.20 को नगर

पालिका गुलाबपुरा द्वारा भगवानदास को आंवटित भूखण्ड संख्या 21 कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि के स्थान पर नगर पालिका की आवासीय कालोनी रैफरल चिकित्सालय के सामने स्थित कालोनी के भूखण्ड संख्या 30 कुल क्षेत्रफल 2226 वर्गगज भूमि का 251000 रूपये मे आवंटित की गई जो राशि राजकोष मे जमा नही हुई। उक्त भूमि की तत्समय मे प्रचलित डीएलसी दर 234 रूपये वर्गफीट के हिसाब से कुल 2226 गुणा 234 रूपये से 520884 रूपये की राजकोष को हानि हुई है। इसी प्रकार आवंटी श्री हेमराज प्रजापत को पूर्व मे जारी भूखण्ड संख्या ए 44 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 20 रैफरल चिकित्सालय के सामने स्थित बेशकीमती कालोनी मे आवासीय आरक्षित दर 720 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से 259000 रूपये मे बेचान कर दिया। जबकि उक्त भूखण्ड की तत्समय की प्रचलित डीएलसी दर 234 रूपये वर्गफीट के हिसाब से 421200 रूपये बनती है। लाभार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की आरक्षित दर 720 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से 259000 रूपये राजकोष मे जमा करवाये जा चुके है। परन्तु भूखण्ड की डीएलसी दर 234 रूपये वर्गफीट के हिसाब से 421200 रूपये वसूल किये जाने थे। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को आंवटित करने मे 421200-259000 बराबर 162200 रूपये की आर्थिक हानि हुई है। इसी प्रकार तीसरे आंवटी श्री दुलानादास सिन्धी को नगर पालिका की अन्य आवासीय भूमि मे से भूखण्ड संख्या 4 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 21 आवंटन किये जाने मे 30x60 बराबर 1800 वर्गफीट भूमि आंवटित की गई। जिसकी आरक्षित दर 251000 रूपये वसूली करना बताया है जो राजकोष मे जमा नही हुई है। वास्तव मे उक्त भूखण्ड पूर्व मे जारीशुदा भूखण्ड संख्या 4 को 1800 रूपये मे क्रय किया गया था। अर्थात उक्त भूखण्ड की 1800 रूपये मे ही क्रय किया जाना माना गया हैं। जबकि उक्त भूखण्ड की तत्समय मे प्रचलित डीएलसी दर 234 रूपये वर्गफीट के हिसाब से 1800 वर्गफीट गुणा 234 रूपये वर्गफीट डीएलसी रेट से 421000 रूपये वसूल किये जाने चाहिये थे। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को आवंटित किये जाने मे राज्य सरकार को 421000 रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यो के आधार पर श्री हीरानन्द को जारी भूखण्ड मे 520884 रूपये तथा श्री हेमराज कुमावत को जारी भूखण्ड को आंवटन किये जाने मे 162000 तथा श्री दुलानादास को भूखण्ड आंवटित किये जाने पर 421000 रूपये इस प्रकार कुल 520884 जोड 162000 जोड 421000 बराबर 1103884 रूपयो की राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना स्पष्ट प्रमाणित होना पाया गया है। इस प्रकार (1) श्री धनराज गुर्जर पिता श्री रामकरण गुर्जर निवासी धूणी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका गुलाबपुरा (2) श्री मनीष सांगेला पिता श्री रामचन्द्र सागेंला निवासी मकान न. 2/40 थोरियान हाउसिंग बोर्ड ,मसूदा रोड ब्यावर जिला अजमेर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, (3) श्री प्रान्शु पारीक पुत्र श्री विकास पारीक निवासी भदादा बाग गुलाबपुरा हाल कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, (4) श्री घनश्याम रेगर पुत्र श्री प्रहलाद रेगर निवासी हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल हाल कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, (5) श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल प्रजापत उम्र 42 वर्ष निवासी इन्द्रा कालोनी गुलाबपुरा हाल वरिष्ठ लिपिक नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, लोक सेवक व राज्य सरकार के अहम जिम्मेदार पद पर आसीन रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर लाभार्थी (6) श्री हिरानन्द किशनानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) लाभार्थी, (7) श्री हेमराज प्रजापत निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) लाभार्थी, (8) श्री दुलानादास जेसवानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) लाभार्थी से आपसी मिली भगत कर लाभार्थीयों को अनुचित लाभ पहुंचाना व विक्रय पत्रो की प्रतिफल के रूप में मिली राशी का गबन कर राजकोष में जमा नही कराकर राज्य सरकार को कुल उक्त तीनो भूखण्डो को बेचान किये जाने मे षडयन्त्रपूर्वक अपने चहेतो को 1103884 रूपये का आर्थिक लाभ पहुंचाया जाकर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होना पाये जाने से उपरोक्त आरोपीगणो के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7(ग),13(1)(क) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित2018) एवं सपठित धारा 409,120 बी भा.द.स. का पारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे प्रेषित है। (वन्दना भाटी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर, ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 (ग), 13(1) (क) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 409, 120-बी आईपीसी में आरोपीगण 1. श्री धनराज गुर्जर पुत्र श्री रामकरण जी गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी धूणी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा (वर्ष 2015 -2020) 2. श्री मनीष सांगेला पुत्र श्री रामचन्द्र सांगेला उम्र 34 वर्ष जाति हरिजन निवासी मकान नम्बर 2/40 गडडी थोरियान हाउसिंग बोर्ड मसुदा रोड ब्यावर जिला ब्यावर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा(मार्च 2019 से अप्रैल 2020) 3.श्री प्रांशु पारीक पुत्र श्री विकास पारीक उम्र 26 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी भदादा बाग गुलाबपुरा जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा (वर्ष2016 से लगातार) 4. श्री घनश्याम रैगर पुत्र श्री प्रहलाद रैगर उम्र 35 वर्ष जाति रैगर निवासी रैगरो का मौहल्ला हुरडा तहसील व पुलिस थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका गुलाबपुरा भीलवाडा (वर्ष2017 से लगातार) 5.श्री हरिप्रसाद प्रजापत पुत्र श्री बाबू लाल जाति

प्रजापत उम्र 44 वर्ष निवासी इन्द्रा कालोनी गुलाबपुरा तहसीलव थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा हाल वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाडा (वर्ष2011 से लगातार) 6. श्री हीरानन्द किशनानी पुत्र श्री जेसाराम किशनानी जाति सिन्धी उम्र 51 वर्ष निवासी कल्ला बावजी मन्दिर के पीछे नाडी मौहल्ला गुलाबपुरा जिला भीलवाडा पेशा सिविल ठेकेदारी (लाभार्थी) 7.श्री हेमराज प्रजापत पुत्र श्री चुन्नी लाल जानि प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासी इन्द्रा कालोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा पेशा मजदूरी (लाभार्थी) 8. श्री दुलानादास जेसवानी पुत्र श्री केवलराम जेसवानी जाति सिन्धी उम्र 66 वर्ष निवासी सिन्धी कालोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा पेशा व्यवसाय (लाभार्थी) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भागचंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 264 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1675-79 दिनांक 06.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर 3.-पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (पीई-18/2022) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHAGCHNDRA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,In
Date: 1 /11/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1991				
3	Male	1999				
4	Male	1990				
5	Male	1981				
6	Male	1959				
7	Male	1987				
8	Male	1959				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)